संख्या-6/19-552/81-4-2019-500(30)/2014

प्रेषक,

आशीष तिवारी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
और विभागाध्यक्ष
उ0प्र0, लखनऊ।

पर्यावरण, वन जलवायु परिवर्तन अनुभाग-4 लखनऊ, दिनांक जुलाई, 2019

विषय- वित्तीय वर्ष-2019-20 में "संरक्षित क्षेत्र के बाहर वन्यजीवों का प्रबन्धन" योजनान्तर्गत आय-व्ययक प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक , योजना एवं कृषि वानिकी , उ0प्र0 लखनऊ के पत्र सं0 - पी 1327 / 36- टी 77 , दिनांक 26.06. 2019 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (व्ययक -आय) अनुभाग -1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या -1 / 2019 / बी - 1 - 170 / दस - 2019 - 231 / 2019 दिनांक 22 मार्च , 2019 में निहित निर्देशों एवं प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय वर्ष 2019 - 20 के लिए अनुदान संख्या -60 के अन्तर्गत संरक्षित क्षेत्र के बाहर वन्य जीवों का " योजनान्तर्गत "प्रबंधन धनराशि रू0 95 . 00 लाख रू)0 पन्चानब्बे लाख मात्र की वित्तीय स्वीकृति (निम्नलिखित लेखा शीर्षकों के अन्तर्गत व्यय हेतु निम्न शर्तों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं

लेखाशीर्षक	धनराशि (रू0 लाख में)
अनुदान संख्या-60	
राजस्व लेखा-	
2406- वानिकी तथा वन्यजीव-	
02-पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्यजीव-	
110-वन्यजीव परिरक्षण	
15-संरक्षित क्षेत्र के बाहर वन्यजीवों का प्रबन्धन (सी0सी0एल0 प्रणाली)	
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	5.00
29-अनुरक्षण	50.00
योग-राजस्व लेखा	55.00
पूंजी लेखा-	
4406-वानिकी तथा वन्यजीव पर पूंजीगत परिव्यय	
02-पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्यजीव-	
110-वन्यजीव	
09-संरक्षित क्षेत्र के बाहर वन्यजीवों का प्रबन्धन (सी0सी0एल0 प्रणाली)	
26-मशीने और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	10.00
42-अन्य व्यय	30.00
योग पूंजी लेखा-	40.00
कुल योग-	95.00

(रू0 पन्चानब्बे लाख मात्र)

1- उक्त धनराशियों का आवंटन स्वयं में व्यय का अधिकार नहीं देता , अत जिस व्यय के सम्बन्ध में वित्तीय हस्तपुस्तिका के अन्तर्गत नियमावलियों के अथवा शासन के वर्तमान आदेशों के अनुसार शासन के अथवा अन्य सक्षम । अधिकारी की पुर्वानुमति / सहमति कलया जाना अपेक्षित हो, उसे व्यय करने से पूर्व अनिवार्यतः प्राप्त किया जाय । वस्तुओं का क्रय स्टोर परचेज एवं वित्तीय नियमों के अधीन किया जाया योजनान्तर्गत वाहनों के क्रय के पूर्व शासन का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा । व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा जारी शासनादेश सं0 - मी0ए0 1132 / दस -2004 - मित -1 / 2004 दिनांक 07 - 01 - 2005 तथा शासनादेश सं0 - मी0ए0 - 1191 / दस -2009 - मित -1 / 2007 दिनांक 26 - 10 - 2009 एवं इस सम्बन्ध में समय समय पर - जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय 2 - अनुदान भारित / विनियोग के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिग विभाग की कार्य के प्रकृति एवं अवसर के अनुसार विचार करते हुए जहां तक सम्भव हो , व्यय की फेंजिग वर्ष की शेष अवधि के लिये प्रतिमाह समान रूप से की जाय और स्वीकृतियॉ/आंवटन के सापेक्ष उससे अधिक धनराशि का आहरण कोषागार से नहीं किया जाये। विभागाध्यक्ष एवं अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय यदि आहरण एंव वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर है, तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को सम्बन्धित जनपदों को आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित की जाय तथा ऐसे मामलों में विभागाध्यक्ष स्तर पर एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय।

3- योजनान्तर्गत सम्मिलित कार्यों की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष/कार्यदायी संस्था का होगा तथा योजनान्तर्गत प्रस्तावित भौतिक लक्ष्यों को कम नहीं किया जायेगा एवं वित्तीय लक्ष्य बढाए नहीं जायेगें। सम्बन्धित मुख्य वन संरक्षक यह सुनिश्चित करेगें कि उक्त कार्य वर्तमान तथा भविष्य में पुनरावृत्ति नहीं होगी।

4- योजनान्तर्गत कराये जाने वाले समस्त कार्य वित्तीय नियमों के अनुसार यदि लागू हो तो व्यय वित्त सतिति द्वारा अनुमोदित आंगणन के अनुसार कराये जायेगें तथा समस्त वैधानित अनुमति सम्बन्धित वैधानित प्राधिकारी से प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। कोई उल्लेखनीय परितर्वन जैसे नये कार्य बढाना, कार्यों के आकार/क्षेत्रफल में वृद्धि, इत्यादि, वित्तीय नियमो के अनुसार ही किया जायेगा। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्यों की कार्यदायी संस्था द्वारा तकनीकी स्वीकृति निर्गत करने के पूर्व विस्तृत डिजाइन/डाइंग बनाते समय प्रायोजना लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर 03 माह के अन्दर समिति का पुन: अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।

5- प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 समय-समय पर स्थलीय निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करेगें कि स्थलीय कार्य अनुमोदित आंगणन एवं निर्धारित मानकों के अनुसार हो रहे हैा तथा इसकी रिपोर्ट शासन को समय-समय पर उपलब्ध करायी जायेगी ।

6- योजनान्तर्गत कार्यों हेतु ई-टेण्डरिंग विषयक समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय एवं क्रय सम्बन्धी समस्त कार्य जी0ई0एम0 पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा।

7- स्वीकृत धनराशि के व्यय का अधिकार तभी होगा जब निर्माण कार्य की भौतिक प्रगति तथा अपेक्षित गुणवत्ताविभा ,यथास्थिति नियंत्रक अधिकारी ,गाध्यक्ष अथवा कार्यालयाध्यक्ष द्वारा सत्यापित कर सक्षम स्तर को प्रेषित कर दिये गये हों।

8- उक्त के अतिरिक्त योजना के क्रियान्वयन के समय भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत सभी सुसंगत वित्तीय नियमोंनिर्देशों का अनुपालन भी सुनिश्चित क/िया जायेगा। स्वीकृत धनराशि के व्यय के पूर्व नियमानुसार सभी औपचारिकतायें पूर्ण की जायेंगी।

9- योजना में व्यय अनुमोदित परिव्यय से अधिक न हो। इस संबंध में शासन के तत्संबंधी निर्देशों तथा समयर पर अनुपालन सुनिश्चित किक स्तसमय पर निर्गत आदेशों का प्रत्ये-या जाय।

10- प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष द्वारा यह सुनिष्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत समस्त कार्य निर्धारित मानक के अनुसार एवं समयान्तर्गत सम्पन्न हो। इसके अतिरिक्त कार्य के स्थलीय निरीक्षण का रिपोर्ट शासन को समयबद्ध रूप से उपलब्ध करायी जाय।

11- स्वीकृत धनराशि के व्यय का अधिकार तब होगा जब निर्माण कार्य की भौतिक प्रगति तथा अपेक्षित गुणवत्ता नियंत्रक अधिकारी, विभागाध्यक्ष अथवा कार्यालयाध्यक्ष द्वारा सत्यापित कर दिया गया हो तथा इसका गुणवत्ता प्रमाण–पत्र एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र सक्षम स्तर को उपलब्ध करा दिया गया हो।

10 –कार्य की गुणवत्ता ,मानक एवं विशिष्टियों के जिम्मेदारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष ,उ0प्र0 की होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

11 - विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगें की प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नही है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीक़त नहीं की गयी है।

12 -प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्यउसका उपयोग नियमानुसार उसी ,मद हेतु की जा रही है/ मद हेतु किया जायेगा।/कार्य

13 -प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

14- अनुदान के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94 दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

15- शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। अतः स्वीकृति धनराशि को व्यय करते समय मितव्ययिता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-सी.ए-.1191/दस-2009-मित-एक/2007 दिनांक 26 अक्टूबर, 2009 एवं इस संबंध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

16- यह भी सुनिश्चित करने का कष्ट करें कि व्यय को निर्धारित मानकों के अनुसार सुनिश्चित किये जाने हेतु एक निश्चित योजनावार समयबद्ध सारणी बनायी जायेगी तथा कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराया जायेगा।

17- विषयगत योजनान्तर्गत हुई कार्य की प्रगति चित्र सहित विभागीय वेब-साईट पर अपलोड कराते हुए इसे एक अतिरिक्त बिन्दु के रूप में विभागीय वेब-साईट पर इंगित किया जाय।

18- उपर्युक्त धनराशि का व्यय अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी के उपर्युक्त संदर्भित पत्र दिनांक 26-06-2019 एवं संदर्भित पत्र के साथ संलग्न प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, उ0प्र0 के पत्र दिनांक 24-6-2019 में उल्लिखित कार्यमदों में ही किया जाय।

2- यह ओदश वित्त)आय -अनुभाग (व्ययक -1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22 मार्च, 2019 मे निहित निर्देशों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत्त किये जा रहे।

भवदीय,

आशीष तिवारी
विशेष सचिव।

संख्या-552 (1) /81-4-2019-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथमदितीय/, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार द्वितीय उ0प्र0 केन्द्रिय भवन, अलीगंज, लखनऊ।
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव उ0प्र0, लखनऊ।
4. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उ0प्र0 लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, उ0प्र0 लखनऊ।
6. वित्त -अनुभाग (व्ययक-आय)1
7. वित्त -अनुभाग (नियंत्रण-व्यय)7
8. वन अनुभाग-1/2/3/5
9. अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(डॉ0 दीपक कोहली (

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।